5/3/18	पत्रा[illegible] [illegible] वादी/प्रतिवादी उपस्थि[illegible] [illegible]अधिकारी के राजकार्य मे व्यस्त[illegible] [illegible] कारण मे सुनवाई नहीं हो सक[illegible] [illegible] पूर्ववत दिनांक 4/5/18 को पेश हो।
4/5/18	पुनश्च पत्रावली दि. 25/6/18 को केम्प सुल्तानपुर मे पेश हो।
25/6/18	पत्रावली लोक अदालत केम्प सुल्तानपुर मे पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 उपस्थित। वादी ने वाद विरुद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 188 RTA मे प्रस्तुत कर रिलीफ चाही है। मजमे आम मे उपस्थित पक्षकारो को सुना गया तथा उभयपक्ष के मध्य सहमति कायम की गई कि विवादित भूमि की मौके पर पैमाईश उभयपक्ष की उपस्थिति कर दी जावें तथा बाद पैमाईश उभयपक्ष अपनी-अपनी आराजी पर काबिज रहे। उक्त सहमति बाबत् आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अतः वाद वादी सहमति के आधार पर आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद स्थित खा.नं. 144 रकबा 0.58 हे. भूमि का उभयपक्ष की उपस्थिति मे राजस्व दल का गठन कर सीमाज्ञान कराया जावें। तत्पश्चात् उभयपक्ष अपनी-अपनी खातेदारी आराजी पर काबिज रहे। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमे आम मे सुनाया गया। पत्रावली दुरुस्त
25/6/18	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में [illegible]
	शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [illegible] (signature) ([illegible])	

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प सुल्तानपुर

उनवान

कमरूद्दीन पुत्र मोहम्मद खां जाति मुसलमान निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा
– वादी

बनाम

1. हनीफ पुत्र घांसी खां जाति मुसलमान
2. इमरान पुत्र हनीफ जाति मुसलमान
3. शबनम पुत्री हनीफ जाति मुसलमान
4. नजमा पत्नी हनीफ जाति मुसलमान निवासीगण सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 35/12

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ''वाद वादी सहमति के आधार पर आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 944 रकबा 0.58 हे0 भूमि का उभयपक्ष की उपस्थिति में राजस्व दल का गठन कर सीमाज्ञान कराया जावें। तत्पश्चात् उभयपक्ष अपनी–अपनी खातेदारी आराजी पर काबिज काश्त रहे।'' तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 25.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner